छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर – 492001
दूरभाष क्र.0771–4073555 फैक्सः 4073553
www.cserc.gov.in, e-mail: cserc.sec.cg@nic.in

प्रेस–विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं उपभोक्ताओं हेतु विद्युत दरों का निर्धारण

राज्य विद्युत वितरण कंपनी के राजस्व आवश्यकता की पूर्ति –

वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपनी याचिका में विद्युत विक्रय 38729 मिलियन यूनिट एवं वार्षिक राजस्व आवश्यकता रू.32520 करोड़ प्रस्तावित किया गया था। आयोग द्वरा गहन जांच के पश्चात विद्युत विक्रय 39760 मिलियन यूनिट एवं वार्षिक राजस्व आवश्यकता रू.28348 करोड़ अनुमोदित किया गया है। वितरण कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए विद्युत की प्रचलित टैरिफ से अनुमानित राजस्व के आधार पर रू.6304 करोड़ राजस्व घाटे का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। आयोग द्वारा गहन जांच पश्चात रू.1662 करोड़ का राजस्व घाटा ही मान्य किया गया है।

औसत विद्युत प्रदाय दर एवं औसत विद्युत बिलिंग दर –

वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु वितरण कंपनी द्वारा रू.8.40 प्रति यूनिट औसत विद्युत प्रदाय दर (Average cost of supply) का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। गहन विश्लेषण उपरान्त आयोग द्वारा औसत विद्युत प्रदाय दर (Average cost of supply) रू.7.13 प्रति यूनिट स्वीकृत की गई है। आयोग द्वारा वर्ष 2026–27 हेतु वर्तमान टैरिफ के आधार पर औसत बिलिंग दर रू.6.71 प्रति यूनिट अनुमानित की गई है जो कि औसत लागत दर रू. 7.13 प्रति यूनिट से 42 पैसे कम है। तदानुसार वर्ष 2026–27 हेतु अनुमानित राजस्व आवश्यकता की प्राप्ति हेतु टैरिफ में आयोग द्वारा विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के विद्युत दर में वितरण कंपनी द्वारा प्रस्तावित 24 प्रतिशत की वृद्धि के स्थान पर 6.23 प्रतिशत की औसत वृद्धि की गई है।

जारी की जा रही नई विद्युत दरें जो कि संलग्नक–1 और संलग्नक–2 में उपलब्ध हैं, जो कि 1 जुलाई, 2026 से प्रभावशील होंगी।

वर्तमान आदेश के मुख्य बिन्दु :–

घरेलु उपभोक्ता

1. घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत दर को 30 पैसे प्रति यूनिट से 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है।
2. स्थानीय निकायों के कार्यालयों के विद्युत टैरिफ को LV-2 (गैर–घरेलू श्रेणी) से LV-1 (घरेलू श्रेणी) में स्थानांतरित किया गया है।
3. छत्तीसगढ़ आवास बोर्ड की कॉलोनियों की स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक जल आपूर्ति टैरिफ को LV-6 (सार्वजनिक उपयोगिता श्रेणी) से LV-1 (घरेलू श्रेणी) में स्थानांतरित किया गया है।
4. घरेलू बिजली और पंखे हेतु लिए गए अस्थायी कनेक्शनों का बिल 2 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद सामान्य घरेलू टैरिफ लागू होगा।
5. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्रधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में स्थित विद्यार्थियों के समस्त छात्रावास हेतु विद्युत टैरिफ को LV-2 (गैर–घरेलू श्रेणी) से LV-1 (घरेलू श्रेणी) में स्थानांतरित किया गया है।

गैर घरेलू उपभोक्ता

6. गैर घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है।

7. 22 अगस्त, 2005 के आदेश द्वारा अधिसूचित बस्तर क्षेत्र/दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण क्षेत्र और सरगुजा क्षेत्र/उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावरों को ऊर्जा शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट दी गई है।

कृषि एवं कृषि संबंधी उपभोक्ता

8. कृषि पम्पों के लिए विद्युत की दरों में 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है।

9. गैर–सब्सिडी वाले कृषि पंप कनेक्शनों को ऊर्जा प्रभार में दी जा रही छूट को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया गया है।

10. किसानों को खेतों में लगे विद्युत पम्पों और खेतों की रखवाली के प्रयोजनार्थ पम्प कनेक्शन के अंतर्गत वर्तमान में पम्प के समीप 100 वॉट के भार उपयोग की सुविधा प्रभावशील है। किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा 100 वॉट तक लाईट एवं पंखे की स्वीकृति जारी रखी गई है।

<u>निम्नदाब उपभोक्ता</u>

11. उपभोक्ता श्रेणी LV-1, LV-2 के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले अस्थाई कनेक्शन पर LV-1, LV-2 के लिए लागू होने वाले सामान्य टैरिफ का 1.25 गुना से बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया गया है।
12. निम्नदाब की LV-2.2(B), LV-2.3, LV-5, LV-6 and LV-7 श्रेणियों के 10 किवॉ भार से अधिक भार के उपभोक्ताओं पर TOD टैरिफ लागू करते हुए ऑफ पीक ऑवर (प्रातः 9 बजे से सांयः 5 बजे तक) टैरिफ में 5 प्रतिशत की छूट एवं पीक ऑवर (सांयः 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक) टैरिफ में 5 प्रतिशत का अधिभार लगाया गया है।
13. LV-1, LV-2.1, LV-2.2 (A) श्रेणी के उन उपभोक्ताओं के लिए जिनका स्वीकृत भार 10 किलोवाट से अधिक है, ऑफ–पीक लोड अवधि (सौर घंटे) अर्थात् सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक की खपत पर 20 पैसे प्रति यूनिट TOD टैरिफ के अन्तर्गत छूट लागू होगी।
14. वृद्धिशील पॉवर फैक्टर इन्सेटिव और वृद्धिशील पॉवर फैक्टर अधिभार हेतु प्रावधान किया गया है।
15. स्वीकृत लोड की स्वतः परिवर्तन का प्रावधान टैरिफ श्रेणी LV-4.1 (A) और LV-4.1 (B) में भी लागू कर दिया गया है।
16. पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रीकल व्हीकल चार्जिंग इकाईयों हेतु इलेक्ट्रीकल व्हीकल चार्जिंग की टैरिफ को औसत विद्युत लागत के बराबर अर्थात् रू.7.13 प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है।
17. महिला सशक्तिकरण हेतु पंजीकृत महिला स्वसहायता समूहों द्वारा संचालित उद्योग गतिविधियों और व्यवसायिक गतिविधियों को ऊर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत की छूट जारी रखी गई है।

18. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्रधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम एवं डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए प्रचलित विद्युत दरों के ऊर्जा प्रभार में दी जा रही 10 प्रतिशत की छूट को जारी रखा गया है।
19. LV-5 श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले पोहा एवं मुरमुरा मिल को ऊर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत की छूट को जारी रखा गया है।

<u>उच्चदाब उपभोक्ता</u>

20. पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रीकल व्हीकल चार्जिंग इकाईयों हेतु इलेक्ट्रीकल व्हीकल चार्जिंग की टैरिफ को औसत विद्युत लागत के बराबर अर्थात् रू.6.42 प्रति kVAh निर्धारित किया गया है।
21. HV-3: अन्य औद्योगिक और सामान्य प्रयोजन गैर–औद्योगिक टैरिफ श्रेणी में स्टोन माइन्स को भी सम्मिलित किया गया है।
22. HV-4 श्रेणी के अंतर्गत 33 kV और 11 kV वोल्टेज स्तर पर 15 प्रतिशत या उससे कम लोड फैक्टर हेतु टैरिफ केवल उन उपभोक्ताओं पर लागू होगा जो वितरण कंपनी से 100 प्रतिशत बिजली आपूर्ति प्राप्त करते हैं।
23. Stand-alone iron washery/beneficiation plant को HV-4 श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।
24. छोटे/मिनी–माइक्रो हाइड्रो जनरेटरों को उनके बिजली संयंत्र के वाणिज्यिक संचालन की तिथि से पहले पांच वर्षों के लिए डिमाण्ड चार्ज के भुगतान से छूट जारी रखी गई है।
25. HV-11 श्रेणी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों पर लागू टैरिफ को सौर ऊर्जा संयंत्रों द्वारा लिए जा रहे आक्जिलियरी पॉवर पर भी लागू किया गया है।
26. राज्य में स्थित सौर ऊर्जा उत्पादक जो 27.12.2023 (जब तक कि आयोग द्वारा अन्यथा छूट न दी गई हो) और 31.10.2026 के बीच COD प्राप्त कर लेते हैं और दीर्घकालिक/मध्यम अवधि के ओपन एक्सेस के माध्यम से बिजली की आपूर्ति करते हैं, उन्हें COD से सात वर्षों की अवधि के लिए लागू पारेषण शुल्क का 33 प्रतिशत भुगतान करना होगा तत्पश्चात उन्हें 100 प्रतिशत पारेषण शुल्क का भुगतान करना होगा।

27. सौर ऊर्जा उत्पादक जो 31.10.2026 के बाद COD प्राप्त कर लेते हैं और दीर्घकालिक/मध्यम अवधि के ओपन एक्सेस के माध्यम से बिजली की आपूर्ति करते हैं, उन्हें लागू पारेषण शुल्क का 100 प्रतिशत भुगतान करना होगा।

28. पैरेलल ऑपरेशन चार्ज 16 पैसे प्रति यूनिट पर निर्धारित किया गया है।

29. यदि कोई उपभोक्ता अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों एवं ओपन एक्सेस के माध्यम से हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्रों से बिजली प्राप्त करता है, तो कोई क्रॉस सब्सिडी अधिभार देय नहीं होगा।

30. जिन उपभोक्ताओं के पास कोलोकेटेड कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट हैं और जिन्होंने अपनी अनुबंध मांग को शून्य कर दिया है, उनके लिए इस आदेश में रू.15.90 kWh टैरिफ निर्धारित किया गया है।

<u>क्रास सब्सिडी सरचार्ज</u>

31. वर्तमान आदेश में आयोग द्वारा निम्नदाब, 11 केव्ही, 33 केव्ही, 132 केव्ही एवं 220 केव्ही और उससे अधिक वोल्टेज हेतु क्रास सब्सिडी सरचार्ज का निर्धारण भी किया गया है।

<u>अग्रिम भुगतान हेतु छूट</u>

32. अग्रिम भुगतान किए जाने पर दिए जाने वाले 1.25 प्रतिशत छूट को घटाकर 0.75 प्रतिशत किया गया है। यह सुविधा वितरण कंपनी से 100 प्रतिशत विद्युत प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को ही प्रदान की जाएगी।

<u>सामान्य</u>

33. विलंबित भुगतान अधिभार (Delay payment surcharge) को 1.5% प्रति माह से बदलकर 0.04 प्रतिशत प्रति दिन कर दिया गया है।

34. माइनस मीटरिंग सुविधा का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के लिए निर्धारित टैरिफ लागू किया गया है।

35. प्रीपेड मीटर वाले LV उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा प्रभार (FPPAS को छोड़कर) पर छूट 1.5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दी गई है।

———00———

	निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु प्रचलित एवं वर्ष 2026–27 हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ					
	वर्तमान दरें (वर्ष 2025–26)			नई दरें (वर्ष 2026–27)		
उपभोक्ता श्रेणी		स्थिर प्रभार	ऊर्जा दर		स्थिर प्रभार	ऊर्जा दर
LV - 1 घरेलू उपभोक्ता एवं बीपीएल उपभोक्ता	वर्ग	रूपये	रूपये प्रति यूनिट	वर्ग	रूपये	रूपये प्रति यूनिट
LV-1	0–100	रु. 20/– प्रति कि.वा. प्रति माह 5 कि.वा. तक के सम्बद्ध भार के लिए; रु. 30/– प्रति कि.वा. प्रति माह 5 कि.वा. से 10 कि.वा. तक के सम्बद्ध भार के लिए; रु. 40/– प्रति कि.वा. प्रति माह 10 कि.वा. से अधिक के सम्बद्ध भार के लिए	4.10	0–100	रु. 20/– प्रति कि.वा. प्रति माह 5 कि.वा. तक के सम्बद्ध भार के लिए; रु. 30/– प्रति कि.वा. प्रति माह 5 कि.वा. से 10 कि.वा. तक के सम्बद्ध भार के लिए; रु. 50/– प्रति कि.वा. प्रति माह 10 कि.वा. से अधिक के सम्बद्ध भार के लिए	4.40
	101–200		4.20	101–200		4.50
	201–400		5.60	201–400		6.00
	401–600		6.60	401–600		7.00
	601 एवं उससे अधिक		8.30	601 एवं उससे अधिक		8.80
LV - 2 गैर घरेलू उपभोक्ता	वर्ग	मांग प्रभार	ऊर्जा दर	वर्ग	मांग प्रभार	ऊर्जा दर
LV-2.1 गैर घरेलू उपभोक्ता	0–100	रू. 50 प्रति कि.वा.प्रति माह (5 कि.वा. तक) सिंगल फेस	6.30	0–100	रू. 60 प्रति कि.वा.प्रति माह (5 कि.वा. तक) सिंगल फेस	6.50
	101–400		7.30	101–400		7.60
	401 एवं उससे अधिक		8.70	401 एवं उससे अधिक		9.10
LV-2.2 गैर घरेलू उपभोक्ता	0–400	रू.120 प्रति कि.वा. प्रति माह (15 कि.वा. तक) थ्री फेस बिलिंग डिमांड पर	7.30	0–400	रू.130 प्रति कि.वा. प्रति माह (15 कि.वा. तक) थ्री फेस बिलिंग डिमांड पर	7.50
	401 एवं उससे अधिक		8.70	401 एवं उससे अधिक		9.00
	मांग आधारित	रू.200 प्रति कि.वा. प्रति माह (15 कि.वा. से अधिक) थ्री फेस बिलिंग डिमांड पर	8.00	मांग आधारित	रू.210 प्रति कि.वा. प्रति माह (15 कि.वा. से अधिक) थ्री फेस बिलिंग डिमांड पर	8.40
LV-2.3 (Electric Vehicle)	All units	NIL	7.02	All units	NIL	7.13
LV-3 कृषि उपभोक्ता	-	रू.100 प्रति एच.पी. प्रति माह	5.80	-	रू.100 प्रति एच.पी. प्रति माह	6.20
LV - 4 निम्नदाब कृषि संबंधी अन्य कार्य	वर्ग	मांग प्रभार	ऊर्जा दर	वर्ग	मांग प्रभार	ऊर्जा दर
LV-4.1 (अ) कृषि संबंधी अन्य कार्य 25 एच.पी. तक	कृषि संबंधी अन्य कार्य 25 एच.पी. तक	रू.100 प्रति एच.पी. प्रति माह या रू. 134 प्रति कि.वा. प्रति माह	5.80	कृषि संबंधी अन्य कार्य 25 एच.पी. तक	रू.100 प्रति एच.पी. प्रति माह या रू.134 प्रति कि.वा. प्रति माह	6.10
LV-4.1 (ब) कृषि संबंधी अन्य कार्य 25 एच.पी. से अधिक 150 एच.पी. तक	कृषि संबंधी अन्य कार्य 25 एच.पी. से अधिक	रू.110 प्रति एच.पी. प्रति माह या रू. 147 प्रति कि.वा. प्रति माह	6.35	कृषि संबंधी अन्य कार्य 25 एच.पी. से अधिक	रू.110 प्रति एच.पी. प्रति माह या रू.147 प्रति कि.वा. प्रति माह	6.65
LV-4.2 कृषि संबंधी अन्य कार्य मांग आधारित	कृषि संबंधी अन्य कार्य मांग आधारित 15 कि.वा. से अधिक	रू.200 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	6.55	कृषि संबंधी अन्य कार्य मांग आधारित 15 कि.वा. से अधिक	रू.210 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	6.85
LV - 5 निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ता	वर्ग	मांग प्रभार	ऊर्जा दर	वर्ग	मांग प्रभार	ऊर्जा दर
LV-5.1 औद्योगिक उपभोक्ता	25 एच.पी. (18.7 किलोवॉट) तक (आटाचक्की/पावर लूम)	रू. 80 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	5.05	25 एच.पी. (18.7 किलोवॉट) तक (आटाचक्की/पावर लूम)	रू. 80 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	5.35
सरगुजा एवं बस्तर प्राधिकरण में आने वाले क्षेत्र हेतु	25 एच.पी. (18.7 किलोवॉट) तक (आटाचक्की/पावर लूम)	रू. 80 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	4.55	25 एच.पी. (18.7 किलोवॉट) तक (आटाचक्की/पावर लूम)	रू. 80 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	4.85
LV-5.2 अन्य उद्योग						
LV-5.2.1 औद्योगिक उपभोक्ता	25 एच.पी. (18.7 किलोवॉट) तक (अन्य औद्योगिक)	रू. 120 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	6.05	25 एच.पी. (18.7 किलोवॉट) तक (अन्य औद्योगिक)	रू. 120 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	6.35
सरगुजा एवं बस्तर प्राधिकरण में आने वाले क्षेत्र हेतु	25 एच.पी. (18.7 किलोवॉट) तक (अन्य औद्योगिक)	रू. 100 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	5.05	25 एच.पी. (18.7 किलोवॉट) तक (अन्य औद्योगिक)	रू. 100 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	5.35
LV-5.2.2 औद्योगिक उपभोक्ता	25 एच.पी से अधिक (18.7 किलोवॉट)	रू.150 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	6.80	25 एच.पी से अधिक (18.7 किलोवॉट)	रू.150 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	7.10
सरगुजा एवं बस्तर प्राधिकरण में आने वाले क्षेत्र हेतु	25 एच.पी से अधिक (18.7 किलोवॉट)	रू.130 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	6.30	25 एच.पी से अधिक (18.7 किलोवॉट)	रू.130 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	6.60
LV-6 सार्वजनिक उपयोग (जल प्रदाय एवं सड़क बत्ती)	-	रू.142 प्रति एच.पी. प्रति माह अथवा रू. 190 प्रति कि.वा. प्रति माह	7.35	-	रू.152 प्रति एच.पी. प्रति माह अथवा रू. 203 प्रति कि.वा. प्रति माह	7.60
LV-7 सूचना प्रौद्योगिकी	सूचना प्रौद्योगिकी, निर्यात आधारित टेक्सटाईल उद्योग	रू. 150 प्रति कि.वा. प्रति माह	6.05	सूचना प्रौद्योगिकी, निर्यात आधारित टेक्सटाईल उद्योग	रू. 160 प्रति कि.वा. प्रति माह	6.25

उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु प्रचलित एवं वर्ष 2026–27 हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ					
		वर्तमान दरें (वर्ष 2025–26)		नई दरें (वर्ष 2026–27)	
उपभोक्ता श्रेणी		मांग प्रभार (रूपये प्रति केवीए प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (रूपये प्रति **kVAh**)	मांग प्रभार (रूपये प्रति केवीए प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (रूपये प्रति **kVAh**)
HV-1	**Railway Traction on 132 kV/220 kV**	375	5.55	400	5.90
HV-2	**Mines**				
	220 KV	500	6.95	500	7.25
	132 KV	500	7.10	500	7.40
	33 KV	500	7.50	500	7.80
	11 KV	500	7.80	500	8.10
HV-3	**Other Industry & General Purpose Non-Industrial**				
	220 KV	375	6.65	400	6.95
	132 KV	375	6.80	400	7.10
	33 KV (Load factor>15%)	375	7.20	400	7.55
	33 KV (Load factor<=15%)#	190	7.40	200	7.75
	11 KV (Load factor>15%)	375	7.60	400	7.85
	11 KV (Load factor<=15%)#	190	7.90	200	8.15
HV-4	**Steel Industries**				
	220 KV	375	6.10	400	6.40
	132 KV	375	6.25	400	6.55
	33 KV (Load factor>15%)	375	6.65	400	7.05
	33 KV (Load factor<=15%)	190	7.15	200	7.55
	11 KV (Load factor>15%)	375	6.75	400	7.05
	11 KV (Load factor<=15%)	190	7.55	200	7.85
HV-5	**Irrigation, Agriculture, Allied Activities & Public water Works**	375	6.60	400	7.00
HV-6	**Residential**	375	6.80	400	7.10
HV-7	**Start up Power Tariff 400/220/132/33/11 kV**	200	9.10	250	9.40
HV-8	**Industries related to manufacturing of equipment for power generation from renewable energy sources 220/132/33/11 kV**	130	4.95	160	5.25
HV-9	**Information Technology Industries and export oriented Textile Industries**	150	5.05	200	5.35
HV-11	**Electric Vehicle Charging Stations and Auxiliary Power Requirement of Solar Plant**	NIL	6.32	NIL	6.42